

प्रथम अध्याय

राज्य शासन के वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

यह अध्याय वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2015–16 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

विश्लेषण छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की प्रोफाइल परिशिष्ट 1.1 (भाग—अ) में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1— भारत का सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,77,511	2,06,690	2,34,982	2,60,776	2,90,140
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,65,937	1,82,229	1,96,023	2,09,012	2,23,932
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.97	9.82	7.57	6.63	7.13

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या परिशिष्ट 1.1 के भाग—ब में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग ग में चित्रित किया गया है।

1.1.1 वर्ष 2016–17 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2 वर्ष 2015–16 के सम्मुख 2016–17 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देनों को तुलानात्मक सारांश प्रस्तुत करता है।

परिशिष्ट 1.3 (भाग अ और ब) वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण के साथ–साथ समग्र वित्तीय स्थिति का एक सार प्रदान करता है।

¹ स.रा.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक है।

**तालिका 1.2: वर्ष 2016–17 के राजकोषीय प्रचालन का सारांश
(₹ करोड़ में)**

प्राप्तियां			संवितरण				
अनुभाग अ— राजस्व	2015–16	2016–17	अनुभाग अ— राजस्व	2015–16	2016–17		
					अयोजनेत्तर	आयोजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	46,067.71	53,685.25	राजस्व व्यय	43,701.06	23,911.70	24,252.90	48,164.60
स्वयं के कर राजस्व	17,074.86	18,945.21	सामान्य सेवायें	10,408.76	11,416.51	79.72	11,496.23
कर भिन्न राजस्व	5,214.79	5,669.25	समाजिक सुरक्षा	16,339.35	6,404.92	14,936.69	21,341.61
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	15,716.47	18,809.16	आर्थिक सेवायें	16,052.54	4,939.72	9,236.49	14,176.21
भारत सरकार का अनुदान	8,061.59	10,261.63	सहायता अनुदान/ अंशदान	900.41	1,150.55	00.00	1,150.55
भाग—ब— पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.84	2.37	पूँजीगत व्यय	7,945.01	38.71	9,431.80	9,470.51
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	296.39	172.99	संवितरित ऋण तथा आग्रिम	164.73	0.00	272.71	272.71
अंतर्राज्यीय समायोजन	0.52	0.38	अंतर्राज्यीय समायोजन	0.49	0.44
लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,251.15	5,479.93	लोक ऋण की अदायगी	1,250.18	1,152.63
आकस्मिकता निधि	0.00	60.00	आकस्मिकता निधि का विनियम	0.00	60.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	55,059.09	62,693.95	लोक लेखा संवितरण	54,000.89	61,148.85
प्रांरभिक रोकड़ शेष	1,218.38	2,833.72	अंतिम रोकड़ शेष	2,833.72	4,658.85
योग	1,09,896.08	1,24,928.59	योग	1,09,896.08			1,24,928.59

(झोत: राज्य शासन के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे)

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)/राजस्व व्यय (रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.3 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	औसत
1	2	3	4	5	6	7
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	29,578	32,050	37,988	46,068	53,685	
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.35	8.36	18.53	21.27	16.53	15.81
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	27,649	28,257	31,690	36,924	41,434	
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर	6.89	2.20	12.15	16.52	12.21	9.99
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	16.66	15.51	16.17	17.67	18.50	16.90
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	26,972	32,859	39,561	43,701	48,165	
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.20	21.83	20.40	10.46	10.21	16.42
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	25,213	28,970	33,002	35,026	37,174	

1	2	3	4	5	6	7
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर	11.43	14.90	13.92	6.13	6.13	10.50
रा.व्य./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.19	15.90	16.84	16.76	16.60	16.26
स.रा.घ.उ. के सांखेक पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	4,919	4,574	6,544	7,945	9,471	
वर्तमान मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.28	-7.01	43.07	21.41	19.21	19.59
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. (₹ करोड़ में)	4,598	4,033	5,459	6,368	7,310	
स्थिर मूल्यों पर पूँव्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.37	-12.30	35.37	16.65	14.79	13.58
पूँव्य. / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.77	2.21	2.78	3.05	3.26	2.82

जैसा की उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक रा.प्रा., रा.व्य. तथा पूँव्य. में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2015–16 में समायोजित रा.व्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था। वैसे ही वर्ष 2013–14 में समायोजित रा.प्रा. एवं पूँव्य., स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के संदर्भ में घटा था।

हालांकि, राज्य का स.रा.घ.उ. के अनुपात में पूँजीगत व्यय (3.26 प्रतिशत) पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश (5.47 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.26 प्रतिशत) और झारखण्ड (4.28 प्रतिशत) से कम है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (म.रा.नी.) विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य का प्रदर्शन **तालिका 1.4** में दिया गया है। उज्जवल डिस्कॉम एसोरेंस योजना (उदय) के लागू किये जाने पर वर्ष 2015–16 के दौरान उर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के ऋण के अधिग्रहण के कारण सरकार पर हुए अतिरिक्त भार की चर्चा **कण्डिका 1.4.2.1** में की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (छ.रा.वि.वि.क) से संबंध कुल ₹ 1,740.24 करोड़ के बकाया दायित्व² में छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2015–16 में उदय बॉण्ड पर ₹ 870.12 करोड़ बाजार से उधार लिया। वर्ष 2016–17 के दौरान भारत सरकार के निर्देशानुसार रिस्ट्रक्यरड एक्सीलेरेटड पावर डेवलपमेंट एवं रिफॉर्म प्रोग्राम (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) के तहत उठाए गए ऋण, उदय ऋण में शामिल नहीं करना है, तथा कुल ऋण ₹ 1,740.24 करोड़ से ₹ 1,153.60 करोड़ हो गए। इस प्रकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी उदय के तहत ₹ 865.20 करोड़ कर दी और इसके परिणामस्वरूप 2016–17 में कोई और उदय बॉण्ड जारी नहीं किया गया।

वर्ष 2016–17 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14^{वै} वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है **तालिका 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

² कुल दायित्व ₹ 1,740.24 करोड़ (- कम) ₹ 586.64 करोड़ आर.ए.पी.डी.आर.पी. के तहत लिया गया ऋण = ₹ 1,153.60 करोड़

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव

राजकोषीय अवयव	2016–17			
	14 ^व वि.आ. का लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (–)/ राजस्व आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	आधिक्य ₹ 5,037.14 करोड़	आधिक्य ₹ 5,037.14 करोड़	आधिक्य ₹ 5,520.65 करोड़
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना ₹ 8,111.32 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना ₹ 8,111.32 करोड़	₹ 8,111.32 करोड़	₹ 4,047.27 करोड़ (1.39 प्रतिशत स.रा.घ.उ.)
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	15.50	15.45	16.31	14.97

बजट अनुमान (₹ 8,111.32 करोड़) के की तुलना में राजकोषीय घाटा (₹ 4,047.27 करोड़) रहा जो कि मुख्य रूप से राजस्व आधिक्य (₹ 484 करोड़) तथा पूँजीगत व्यय (₹ 3,533 करोड़) में कमी के कारण हुआ।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:—

तालिका 1.5:—राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य	2,606.25	(–)809.31	(–)1,573.28	2,366.65	5,520.65
शुद्ध पूँजीगत व्यय	(–)4,916.94	(–)4,566.55	(–)6,541.22	(–)7,942.17	(–)9,468.14
शुद्ध ऋण तथा आप्रिम ³	(–)344.45	318.58	106.23	131.69	(–)99.78
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर ⁴	.	.	.	870.12	.
कुल	(–)2,655.14	(–)5,057.28	(–)8,008.27	(–)4,573.71	(–)4,047.27
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*					
बाजार से लिए गए उधार	1,036.47	2,843.99	3,807.65	4,666.75	3,897.68
भारत सरकार से ऋण	(–)152.37	(–)134.50	(–)148.49	(–)18.79	211.57
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	15.00	1.42	414.18	389.09	(–)420.53
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबाड़)	119.34	531.33	645.80	525.92	638.58
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	383.80	(–)383.80	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	293.47	265.40	443.83	514.30	426.96
जमा तथा अग्रिम	521.18	1,818.98	466.62	(–)69.54	550.66
उंचत तथा विविध	(–)1,107.52	(–) 1,243.93	1,449.74	(–)1,823.27	(–)629.98
प्रेषण	(–)264.11	(–) 98.03	193.52	11.94	49.14

³ अन्तर्राज्यीय परिशोधन सम्मिलित।

⁴ उदय की मार्गदर्शिका के अनुसार, वर्ष 2015–16 और 2016–17 में राज्य द्वारा लिया गया कर्ज राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाना।

1	2	3	4	5	6
अन्य ⁵	332.15	305.16	264.02	389.93	639.80
कुल	793.61	4,289.82	7,920.67	4,202.53	5,363.90
कुल अधिक्य (+) / घाटा(-)	(-) 1,861.53	(-) 767.46	(-) 87.60	(-) 371.18	(-) 1,316.63
योग	2,655.14	5,057.28	8,008.27	4,573.71	4,047.27

* सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहाव हैं।
(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

1.1.2.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटों का प्राथमिक राजस्व घाटा⁶ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित) का अपघटन राज्य के वित्त घाटा की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे (तालिका 1.6) का विभाजन दर्शाता है कि किस सीमा तक पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है जो कि सरकार की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.6 राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्रारंभिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण तथा आग्रिम	प्राथमिक व्यय ⁷	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012–13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	5,305	(-) 1,502
2013–14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	2,191	(-) 3,709
2014–15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281
2015–16	46,367	41,552	7,075*	165	49,662	4,815	(-) 2,425
2016–17	53,861	45,478	9,471	273	55,222	8,383	(-) 1,361

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

*उदय के अंतर्गत, ₹ 870.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें


बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक प्राप्तियां और व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित और अनपेक्षित घटनाओं के कारण या बजट तैयार करने के दौरान व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण हुआ, जो कि वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

वर्ष 2016–17 के लिए चयनित वित्तीय मानदंडों के बजट अनुमानों के मुताबिक वास्तविकता चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।

⁵ आकस्मिकता निधि और आरक्षित निधि सम्मिलित।

⁶ प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

⁷ प्राथमिक व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजी तथा ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करता है।



(स्रोत: राज्य शासन के वर्ष 2016–17 के वित्त लेखे एवं राज्य के 2016–17 के बजट अनुमान)

जैसा कि देखा जा सकता है कि राज्य सरकार वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 8,225 करोड़), जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 2,230 करोड़), कृषि तथा संबंधि क्रिया—कलाप (₹ 2,129 करोड़) और वेतन एवं विविध सामान्य सेवायें (₹ 1,697 करोड़), में बजट अनुमान के मुकाबले कमी करके महत्वपूर्ण राजस्व आधिक्य प्राप्त करने में सक्षम हुई। इसी तरह से पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 3,533 करोड़) मुख्य रूप से परिवहन (₹ 2,301 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹ 477 करोड़) में कमी के कारण हुई।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अंतर कम हो।

1.1.4 जेंडर बजट

राज्य का जेंडर बजट कुल बजट का वह हिस्सा होता है जो महिलाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। बजट दस्तावेज के मुताबिक, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है—(1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

यह देखा गया कि वर्ष 2016–17 के दौरान 25 योजनाएं जो कि 100 प्रतिशत महिला केंद्रित कार्यों की थी, के लिए ₹ 1,455.87 करोड़ (₹ 1,250.08 करोड़; मूल बजट प्रावधान और ₹ 205.79 करोड़; पूरक बजट प्रावधान) के बजट प्रावधान किए गए थे (परिशिष्ट 1.5) जिनमें से केवल ₹ 883.38 करोड़ (60.68 प्रतिशत) खर्च किया गया था तथा ₹ 595.26 करोड़ (40.88 प्रतिशत) या तो समर्पित या पुर्णविनियोजित किया गया तथा ₹ 22.77 करोड़ (1.56 प्रतिशत) का अधिक व्यय, समर्पण के पश्चात उपलब्ध बजट से किया गया।

इसके अलावा, 110 योजनाओं के लिए बजट प्रावधान ₹ 645.65 करोड़, जिसमें बजट केन्द्र (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिलाओं के केंद्रित कार्यों पर खर्च किया जाना था, बिना किसी उप शीर्ष के बनाया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत महिलाओं के ऊपर खर्च की गई वास्तविक राशि को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।



अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय-समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 वित्त लेखों में वर्णित राज्य के वित्तीय संसाधनों के विभिन्न परिक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप घटक






(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केंद्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिसे विवेचनात्मक के रूप में स्वीकार किया गया था और निधियाँ को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था अतएव, वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि वर्ष 2015–16 में जारी राशि ₹ 466.30 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 1,112.05 करोड़ की केन्द्रीय राशि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, पिछले वर्ष जारी राशि की तुलना में ₹ 645.74 करोड़ (138.48 प्रतिशत) के निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में वृद्धि हुई।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2012–17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संरचना तथा प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.6 तथा चार्ट 1.5 में दर्शायी गई हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष ₹ 8,080 करोड़ (21.27 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2016–17 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,617 करोड़ (16.53 प्रतिशत) बढ़ी, जो मुख्य रूप से स्वयं के कर राजस्व (₹ 1,870 करोड़), कर भिन्न राजस्व (₹ 454 करोड़), संघीय करों का हिस्सा (₹ 3,093 करोड़) और भारत सरकार से सहायता में अनुदान (₹ 2,200 करोड़) के कारण हुई थी।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.7: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति

	(₹ करोड़ में)				
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
राज्य के स्वयं का कर राजस्व	13,034	14,343	15,707	17,075	18,945
राज्य के स्वयं का कर राजस्व / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	7.34	6.94	6.68	6.55	6.53

राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 13,034 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में ₹ 18,945 करोड़ हो गई, जबकि यह स.रा.घ.उ. के अनुपात में घटी जो चिंताजनक है।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वै} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2016–17 हेतु राज्य की वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व

	14 ^व वित्त का अनुमान	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम. अनुमान	वास्तविक
कर राजस्व	24,033	21,964	21,964	18,945
कर-भिन्न राजस्व	5,569	7,420	7,420	5,669

(स्रोत: 14^व वित्त आयोग, वित्त विवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2016–17)

बजट अनुमान के मुकाबले स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्य रूप से मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क (₹ 274 करोड़), बिक्री पर कर, व्यापार इत्यादि (₹ 2,001 करोड़), माल तथा यात्रियों पर कर (₹ 223 करोड़), भूमि राजस्व (₹ 46 करोड़) तथा विद्युत पर करों तथा शुल्कों (₹ 80 करोड़) के कम संग्रहण के कारण हुई (परिशिष्ट 1.6)।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2012–17 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016–17 में वृद्धि का प्रतिशत	(₹ करोड़ में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,929	7,930	8,429	8,908	9,927	11.44	
राज्य उत्पाद शुल्क	2,486	2,549	2,892	3,338	3,444	3.18	
वाहनों पर कर	592	651	703	829	985	18.82	
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	952	990	1,023	1,185	1,211	2.19	
भू-राजस्व	234	226	332	364	504	38.46	
माल एवं यात्रियों पर कर	954	945	982	1,040	1,340	28.85	
अन्य कर ⁸	887	1,052	1,346	1,411	1,534	8.72	
योग	13,034	14,343	15,707	17,075	18,945	10.95	
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	21.68	10.04	9.51	8.71	10.95		

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2016–17 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग के वर्ष हेतु मानक अनुमान ₹ 5,569 करोड़ के खिलाफ ₹ 5,669 करोड़ कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) का संग्रह किया गया।

वर्ष 2012–17 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका 1.10 में दिए गए हैं।

तालिका 1.10: कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	विगत वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत
ब्याज प्राप्तियाँ	243.13	380.90	171.89	108.23	157.24	(+)45.28
लाभोंश एवं लाभ	2.19	14.21	0.86	5.73	0.55	(-)90.40
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ⁹	4,370.63	4,706.06	4,757.16	5,100.83	5,511.46	8.05
कुल	4,615.95	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	8.71

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों में क.भि.रा. का हिस्सा वर्ष 2015–16 के दौरान 11 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 10.56 प्रतिशत हो गया। क.भि.रा. में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान 8.71 प्रतिशत (₹ 454 करोड़) की वृद्धि हुई जो कि मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातु कर्म उद्योगों में ₹ 432 करोड़ (11.64 प्रतिशत) लघु तथा सिंचाई ₹ 59 करोड़ (48.34 प्रतिशत) के कारण हुआ।

⁸ अन्य व्यय-होटल प्राप्तियाँ, आय तथा व्यय पर कर बिजली पर कर, सेवाओं तथा वस्तुओं पर कर।

⁹ गैर-लौह खदान और धातु कर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य जीव, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनाज संग्रहण और भंडारण इत्यादि।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वर्ष 2016–17 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण और लागत का विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कर और शुल्कों के संग्रहण की लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय संग्रह का प्रतिशत	पिछले वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत में
बिक्री व्यापार इत्यादि पर वैट / कर	2016–17	9,927.21	56.72	0.57	0.66
वाहनों पर कर	2016–17	985.27	14.96	1.52	4.99
राज्य उत्पाद शुल्क	2016–17	3,443.51	131.46	3.82	3.21
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2016–17	1,211.35	24.78	2.05	2.87

(महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और संघीय कर एवं शुल्कों का हिस्सा मिलता है। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 1.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.12: भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
गैर–योजना अनुदान	1,227.29	1,415.78	1,568.28	2,328.79	2,013.42
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	2,112.69	2,121.47	6,435.44	4,775.83	7,785.03
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	107.28	43.34	131.73	91.37	64.59
केन्द्र प्रयोजित योजनाओं हेतु अनुदान	1,263.07	1,145.57	852.35	865.60	398.59
कुल	4,710.33	4,726.16	8,987.80	8,061.59	10,261.63
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	(–)1.38	0.34	90.17	(–)10.31	27.29
राजस्व प्राप्तियाँ	29,578	32,050	37,988	46,068	53,685
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	15.93	14.75	23.66	17.50	19.11

(चोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से गैर–योजना अनुदान में कमी मुख्य रूप से राज्य आपदा राहत निधि में वर्ष 2015–16 में ₹ 249.73 करोड़ से वर्ष 2016–17 में ₹ 94.87 करोड़ होने हेतु योगदान में कमी के कारण हुई।

वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अनुदान में वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सङ्गठन योजना (₹ 449.81 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (₹ 1,967.72 करोड़) और एकीकृत बाल विकास योजना–पूरक पोषण (₹ 224.62 करोड़) के अनुदान के कारण थी।

केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान में कमी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टुरीज़म के विकास–स्वदेश दर्शन योजना, वन बंधन कल्याण योजना और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, प्राप्ति नहीं होने के कारण थी।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान में कमी मुख्य रूप से हाउसिंग फॉर ऑल–सरदार पटेल शहरी आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना—सामान्य और सामाजिक सुरक्षा योजना और कल्याण योजनाओं के तहत प्राप्ति नहीं होने के कारण थी।

1.3.4 केंद्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2012–17 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित करों का विवरण तालिका 1.13 में नीचे दिया गया है—

तालिका 1.13: केंद्रीय कर अंतरण की प्रदत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
केंद्रीय कर हस्तांतरण	7,217.60	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16
राजस्व प्राप्तियों के हिस्से के रूप में केंद्रीय कर हस्तांतरण	24.40	24.59	22.01	34.12	35.04

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2016–17 के दौरान पिछले वर्ष से केंद्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (₹ 1,070 करोड़), संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 887 करोड़), निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 729 करोड़) सेवा कर (₹ 319 करोड़) के अंतर्गत हुआ।

1.3.5 त्यक्त राजस्व

1.3.5.1 करों का कम निर्धारण: आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

वर्ष 2016–17, के दौरान कुल 464 इकाईयों में से 85 इकाईयों¹⁰ जो कि वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू–राजस्व, खनन प्राप्ति, वाहनों पर कर, वानिकी और वन्य जीवन और विद्युत कर से संबंधित थे, के नमूना जांच से प्रदर्शित हुआ कि 38,061 प्रकरणों में करों और शुल्क के कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने/राजस्व की हानि के रूप में कुल ₹ 502.05 करोड़ की हानि हुई। संबंधित विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए 13,616 मामलों में ₹ 159 करोड़ की कम आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

बकाया राजस्व की राशि का विवरण नीचे तालिका 1.14 में विस्तृत है—

¹⁰

वाणिज्यिक कर विभाग (13 इकाईयाँ), मुद्रांक और पंजीयन विभाग (नौ इकाईयाँ), राज्य आबकारी विभाग (17 इकाईयाँ), भू–राजस्व विभाग (चार इकाईयाँ), विद्युत तथा सुरक्षा विभाग (चार इकाईयाँ), परिवहन विभाग (10 इकाईयाँ), भू–गर्भ तथा खदान विभाग (नौ इकाईयाँ), वन विभाग (19 इकाईयाँ)।

तालिका 1.14: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को कुल बकाया	31 मार्च 2017 को पांच साल से अधिक का बकाया
1.	बिकी, व्यापार इत्यादि पर कर	1,887.09	831.28
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	49.91	19.91
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	708.53	108.35
4.	वाहनों पर कर	26.65	9.80
5.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	17.23	2.35
6.	गैर लौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	0.85	0.85
7.	वानिकी एवं वन्य जीवन	8.67	3.30
योग		2,698.93	975.84

(झोत:- राजस्व अनुभाग एवं संबंधित विभाग)

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने बकाया राजस्व की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बकाया राजस्व की तेजी से वसूली के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजी भाग के अंतर्गत वर्ष 2012–17 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.15 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.15:— पूँजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

राज्य के प्राप्तियों के झोत	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.39	7.64	3.03	2.84	2.37
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39	172.99
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	1.53	5.14	0.91	0.52	0.38
(अ) कुल गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,545.93	1,650.05	198.80	299.75	175.74
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.96	6.74	(-)87.95	50.78	(-)41.37
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	16.70	14.59	8.69	145.28	381.53
(ब) लोक ऋण (₹ करोड़ में)	2,057.73	3,931.89	6,439.67	7,251.15	5,479.93
पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	3,603.66	5,581.94	6,638.47	7,550.90	5,655.67
लोक ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	388.38	91.08	63.78	12.60	(-)24.43
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.ड. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
पू.+प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	110.74	54.90	18.93	13.74	(-)25.10

(झोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2015–16 में पूँजीगत प्राप्ति उज्ज्वल डिस्कॉम एसोरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत ₹ 870.12 करोड़ के बांड प्राप्त हाने के कारण बढ़ा था। वर्ष 2016–17 के दौरान कोई विनिवेश नहीं किया गया।

1.4.1 ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

वर्ष के दौरान, ऋण की वसूली मुख्य रूप से नई शहरी जल आपूर्ति योजना (₹ 64.15 करोड़), शहरी निकायों को बुनियादी ढाचे के विकास के लिए ऋण, (₹ 43.15 करोड़) महामाया सहकारी चीनी मिल अंबिकापुर (₹ 30.95 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदामों का निर्माण (₹ 9.31 करोड़) से हुई।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: राजस्व सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
बजार ऋण	1,500.00	3,000.00	4,200.00	4,850.00	4,200.00
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	0.00	0.00	0.00	870.12	0.00
वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	288.80	674.62	796.13	673.52	898.40
राष्ट्रीय अल्य बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	252.23	242.68	658.81	712.23	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	776.04	0.00	0.00
योग	2,041.03	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा निवेश और ऋण और अग्रिम की तुलना में उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के असर की चर्चा कंडिका 1.8.3 और 1.8.4 में की गई है।

1.4.2.1 डिस्कॉम हेतु उदय बांड पर उधार

भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एसोरेंस योजना (उदय) को मंजूरी दिया है जो राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय बदलाव के लिए तथा अपनी परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के लिए एक योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिए ₹ 1,305.18 करोड़¹¹ का कर्ज लेने की आवश्यकता थी, जिसमें ₹ 870.12 करोड़¹² वर्ष 2015–16 में तथा बकाया ₹ 435.06 करोड़ वर्ष 2016–17 में लिया। इसी प्रकार राज्य शासन ने वर्ष 2015–16 में बाँड जारी कर ₹ 870.12 करोड़ लिया। अप्रैल 2016 में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया कि रिस्ट्रक्चरल एक्सीलरेटर्ड पावर डेवलपमेंट एवं रिफॉर्म प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी)¹³ के तहत राज्य सरकार द्वारा ऋण नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कुल ऋण को ₹ 586.64 करोड़ कम किया गया और ₹ 1,153.60 करोड़ (₹ 1,740.24 करोड़ – ₹ 586.64 करोड़) पर तय किया गया जिसमें से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में 75 प्रतिशत यानी ₹ 865.20 करोड़ लिया जाना था। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा लिया गया

¹¹ 30 सितंबर 2015 की रिथिति में छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 75 प्रतिशत बकाया दायित्व (₹ 1,740.24 करोड़)।

¹² वर्ष 2015–16 में में अनुदान से।

¹³ आरएपीडीआरपी–सरकार द्वारा जारी योजनाओं के तहत ऋण।

₹ 4.92 करोड़ (₹ 870.12 करोड़ – ₹ 865.70 करोड़) अतिरिक्त ऋण, छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से समायोजन की आवश्यकता है। हालांकि, वर्ष 2016–17 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया गया।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य योजनागत योजनाओं के लिए भारत सरकार से ₹ 382 करोड़ के ऋण और अग्रिम, मुख्यतः छत्तीसगढ़ सड़क क्षेत्र विकास परियोजना II (₹ 361.07 करोड़) और सतत शहरी परिवहन परियोजना (₹ 20.22 करोड़) के लिए दिये।

1.5 लोक लेखे की शेष राष्ट्र

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम उचंत और प्रेषण इत्यादि के तहत प्राप्तियाँ और वितरण जो राज्य के समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखी जाती है और न ही राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के तहत प्राप्तियाँ और वितरण की स्थिति वित्तीय लेखे के विवरण 21 में दिखायी गई है और लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.17 में दिखायी गई है।

तालिका 1.17:— निवल लोक लेखा प्राप्तियां तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल लोक प्राप्तियाँ
1	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,126.89	699.93	426.96
2	आरक्षित निधियाँ	1,617.38	977.58	639.80
3	जमा तथा अग्रिम	4,023.64	3,472.96	550.68
4	उचन्त और विविध	1,05,088.32	1,05,862.82	(-)774.50
	घटाइये— विभागीय शेष	8.92	6.09	2.83
	घटाइये — स्थाई अग्रदाय	0.00	0.01	(-)0.01
	घटाइये — रोकड़ शेष निवेश	58,377.52	59,033.36	(-)655.84
	कुल— उचन्त और विविध	46,701.88	46,823.36	(-)121.48
5	प्रेषण	9,224.16	9,175.02	49.14
	योग (1 से 5 तक)	62,693.95	61,148.85	1,545.10


(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लघु बचत, भविष्य निधि और जमा तथा अग्रिम के तहत धन की शुद्ध उपलब्धता घाटे को वित्त प्रेषित करने में प्रमुख थे।

1.6 संसाधनों का उपयोग

व्यय की वृद्धि तथा संरचना

चार्ट 1.6 वर्ष 2012–17 के दौरान कमशः कुल व्यय के प्रवृत्ति एवं संरचना को दर्शाते हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों)

1.6.1 पूँजीगत व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 1,526 करोड़ (19.21 प्रतिशत) बढ़ गया जो कि मुख्य रूप से ऊर्जा (₹ 777 करोड़), परिवहन (₹ 354 करोड़), और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (₹ 151 करोड़) पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2015–16 में 84 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 83 प्रतिशत हुआ। 2016–17 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 17 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2015–16 के राजस्व व्यय ₹ 43,701 करोड़ की तुलना में वृद्धि वर्ष 2016–17 में ₹ 48,165 करोड़ (10.21 प्रतिशत) हो गया जो कि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में क्रमशः ₹ 1,087 करोड़ और ₹ 5,002 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ।

1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 28,456 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 24,253 करोड़ था। वर्ष 2015–16 के सापेक्ष में वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय में 18.14 प्रतिशत (₹ 3,724 करोड़) की वृद्धि, मुख्यतः शिक्षा (₹ 1,429.06 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 2,447.30 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,221.39 करोड़) के कारण हुई।

1.6.2.2 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 27,934 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 23,912 करोड़ था। वर्ष 2016–17 में पिछले वर्ष की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ने ₹ 740 करोड़ (3.19 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा

(₹ 324.75 करोड़) और जल आपूर्ति, स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 243.51 करोड़) के कारण हुई।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन और ब्याज पर व्यय शामिल होता है। तालिका 1.18, वर्ष 2012–17 के दौरान इन घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	7,687 (26)	9,137 (29)	10,003 (26)	10,865 (24)	14,460	11,424 (21)
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,018	6,268	6,973	7,609	एन.ए.	7,972
आयोजना शीर्ष*	2,669	2,869	3,030	3,256	एन.ए.	3,452
सहायता अनुदान से वेतन का भुगतान	1,280 (4)	1,749 (5)	2,010 (5)	2,305 (5)	एन.ए.	2,868 (5)
ब्याज भुगतान	1,153 (4)	1,351 (4)	1,757 (5)	2,149 (5)	2,590	2,687 (5)
पेंशन	2,412 (8)	2,752 (9)	3,249 (9)	3,519 (8)	5,184	3,487 (6)
सब्सिडी	1,791 (6)	3,156 (10)	3,747 (10)	7,397 (16)	5,184	4,189 (8)
कुल	14,323 (48)	18,145 (57)	20,736 (55)	26,235 (57)		24,655 (46)

(झोतः— संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक राजस्व प्राप्ति को प्रतिशत इंगित करता है।

एन.ए. बजट अनुमान में उपलब्ध नहीं है।

*केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वेतन मजदूरी का भुगतान सम्मिलित

वेतन और मजदूरी (₹ 11,424 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 2,687 करोड़) और पेंशन (₹ 3,487 करोड़) कुल मिलाकर राजस्व व्यय के 37 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 33 प्रतिशत उपभोग किया।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय वर्ष 2015–16 में ₹ 10,865 करोड़ का व्यय हुआ था जो कि वर्ष 2016–17 में बढ़कर (₹ 559 करोड़) ₹ 11,424 करोड़ हो गया। वर्ष 2016–17 के दौरान एफआरबीएम घोषणा (₹ 10,149 करोड़) में किए गए प्रावधानों की तुलना में वेतन और मजदूरी पर व्यय ₹ 1,275 करोड़ (12.56 प्रतिशत) अधिक हुआ। सहायता अनुदान¹⁴ से भुगतान किया गया वेतन वर्ष 2015–16 में हुये व्यय ₹ 2,305 करोड़ से बढ़कर (₹ 563 करोड़) वर्ष 2016–17 में ₹ 2,868 करोड़ हो गया।

14

सहायता अनुदान से विभिन्न संस्थाओं शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृत, कृषि तथा संबंध किया—कलाप और ग्रामीण विकास को वेतन भुगतान।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक थी, जो कि मुख्य रूप से बाजार ऋण ₹ 438.28 करोड़ (51 प्रतिशत) पर ब्याज की तेज वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2016–17 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का पाँच प्रतिशत था। वर्ष 2015–16 और वर्ष 2016–17 के दौरान ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक नीचे तालिका 1.19 में दिए गए हैं।

तालिका 1.19:— ब्याज भुगतान के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	बकाया दायित्व	2015–16		बकाया दायित्व	2016–17	
		ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में		भुगतान किया गया बकाया	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में
आंतरिक ऋण	24,214.56	1,575.58	6.51	28,330.29	2,107.16	7.44
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,835.59	145.83	7.94	2,047.15	137.49	6.72
लघु बचत भविष्य निधि आदि	4,165.51	355.82	8.54	4,592.47	370.95	8.08
अन्य	7,525.48	71.67	0.95	8,460.95	71.23	0.84
कुल	37,741.14	2,148.90	5.69	43,430.86	2,686.83	6.19

पेंशन भुगतान

राज्य शासन कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाता है।

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006–17 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,318.68 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 1,294.70 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 23.98 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को निधि के देरी हस्तांतरण पर ग्राहकों को देय ब्याज की देयता की गणना नहीं की।

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य शासन ₹ 305.91 करोड़ के कर्मचारी अंशदान के विरुद्ध ₹ 301.27 करोड़ का अंशदान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.64 करोड़ का कम अंशदान तथा राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ।

31 मार्च 2017, की स्थिति में ₹ 29.27 करोड़ लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 23.98 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 29.27 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 53.25 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई। यद्यपि एन.एस.डी.एल. में सक्षिप्त योगदान/गैर हस्तांतरण, छत्तीसगढ़ के (₹ 53.25 करोड़), पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (₹ 97.98 करोड़) और उत्तर प्रदेश (₹ 1,12,8.68 करोड़) से अच्छा रहा।

आगे, लोक लेखे में से देय ₹ 29.27 करोड़ 31 मार्च 2017 तक एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित होने हेतु लंबित था, लेकिन 30 जून 2017 तक ₹ 3.47 करोड़ लंबित रहा।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए। विभागीय अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जो समय पर नवीन पेंशन योजना के तहत योगदान स्थानांतरित करने में नाकाम रहते हैं।

सब्सिडी

वर्ष 2016–17 में सब्सिडी ₹ 4,189 करोड़, राजस्व प्राप्तियों को 7.80 प्रतिशत रही, ये सब्सिडी मुख्यतः मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹ 2,103 करोड़), उपभोक्ताओं के बिजली फीस में माफी (₹ 700 करोड़) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 122 करोड़) में थी।

कुछ सब्सिडी वर्ष 2016–17 में सहायता अनुदान (प्रकार में) के रूप में तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: राज्य शासन द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (प्रकार में)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजनाएं	2015–16	2016–17
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	53.73	106.17
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	57.31	93.57
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.64	0.70
कृषि	पाँच एच.पी. के कृषि पर्यायों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	1,032.10	259.48
संचार	तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप/टेबलेट का प्रदाय	56.28	5.54
योग		1,200.06	465.46

(स्रोत:— संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें) कुल व्यय का 78 प्रतिशत है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2012–13 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2016–17 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.21 में की गई है।

तालिका 1.21: वर्ष 2012–13 एवं 2016–17 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	एई/स.रा.घ.उ.	डीई# / एई	एसएसई/एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य/एई
औसत (अनुपात) 2012–13						
सामान्य श्रेणी राज्य	14.80	70.00	38.20	13.70	17.70	4.60
छत्तीसगढ़	19.03	77.40	37.69	20.15	16.76	3.83
औसत (अनुपात) 2016–17						
सामान्य श्रेणी राज्य	16.70	70.90	32.20	19.70	15.20	4.80
छत्तीसगढ़	19.98	77.76	41.36	16.91	20.00	5.68
ई: सकल व्यय, डीई—विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय #विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।						

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

तालिका 1.22 पिछले वर्ष के बजट राशि एवं व्यय के साथ—साथ वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.22: विकास व्यय

विकास व्यय के घटक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास राजस्व व्यय	19,468 (58)	24,038 (62)	29,541 (64)	32,392 (63)	41,578	35,518 (61)
विकास पूँजीगत व्यय	4,794 (14)	4,392 (11)	6,287 (14)	7,582 (15)	12,677	9,283 (16)
विकास ऋण एवं अग्रिम	1,882 (06)	1,309 (03)	78 (0.17)	164 (0.32)	660	273 (0.47)
कुल विकास व्यय	26,144 (77)	29,739 (77)	35,906 (78)	40,138 (77)	54,915	45,074 (78)
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	33,779	38,757	46,195	51,811		57,968

(झोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.23 पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक / आर्थिक अधोसंरचना	2015–16			2016–17		
	सी.ई. का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी	सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी
1	2	3	4	5	6	7
सामाजिक सेवाएं						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	3.40	0.48	40.82	4.24	0.48	27.68
सामान्य शिक्षा	0.96	0.12	39.21	0.89	0.11	34.44
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.56	0.70	50.09	0.56	0.63	44.23
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.27	2.52	9.53	1.89	0.98	3.29
आर्थिक सेवाएं						
कुल आर्थिक सेवाएं जिनमें	11.15	2.38	12.73	11.77	2.52	14.27
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.12	0.53	15.55	0.16	0.64	18.72
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.35	10.12	51.00	3.26	4.95	47.42

(झोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे) टी.ई.: संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सी.ई.: संबंधित क्षेत्र में पूँजीगत व्यय;

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

13^{वै} एवं 14^{वै} वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ) पर लागत वसूली दर निर्धारित की थी। 2012–17 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.24 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.24: सिंचाई परियोजनाओं में लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	13 ^{वै} एवं 14 ^{वै} वित्त आयोग के लागत वसूली का आंकलन	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली में अंतर
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2012–13	372.74	604.00	45	162	(-)117
2013–14	411.19	756.44	60	184	(-)124
2014–15	448.12	544.85	75	122	(-)47
2015–16	486.45	630.18	35	130	(-)95
2016–17	508.63	624.47	35	123	(-)88

राज्य सरकार ने वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत किसी सिंचाई परियोजना को वाणिज्यिक के रूप में घोषित नहीं की इसके पश्चात् भी लागत वसूली का हिस्सा अनुकूल हुई। छत्तीसगढ़ (-88 प्रतिशत) की सिंचाई परियोजनाओं की अंतराल लागत वसूली पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (-49 प्रतिशत), झारखण्ड (आठ प्रतिशत) एवं उत्तर प्रदेश (20 प्रतिशत) के तुलना में बेहतर थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लागत वसूली का आंकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी जो 31 मार्च 2017 तक या उससे पहले भी पूर्ण होने थे, तालिका 1.25 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.25 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनार्थी						
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	48 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत संशोधित	48 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 48 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2017 को 145 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय	
	क्र.	राशि					
लोक निर्माण	30	827.50	8	292.29	750.52	458.23	876.09
जल संसाधन	115	5,019.67	40	2,330.92	4,308.51	1,977.59	5,060.59
योग	145	5,847.17	48	2,623.21	5,059.03	2,435.82	5,936.68

(स्रोत: वित्त लेखे 2016–17)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभारित करता है। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके। चूंकि राज्य सरकार ने 97 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, परियोजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण 145 परियोजनाओं में से 48 (उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया) में अनुमानित लागत ₹ 2,623.21 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,059.03 करोड़ हो गया।

अनुशंसा – लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2017 की स्थिति में, शासन ने 13 सरकारी कंपनियों (₹ 6,459.45 करोड़), 1523 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 201.34 करोड़), दो सांविधिक निगमों (₹ 35.90 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 24.31 करोड़) तथा चार संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 57.60 करोड़) में ₹ 6,778.60 करोड़ निवेश किया। हालांकि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों लेखो एवं स्वीकृति के सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 188.85 करोड़¹⁵ का अंतर है। इस प्रकार, शासन के लेखो में निवेश को कम दर्शाया गया था।

वर्ष 2012–17 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की स्थिति तालिका 1.26 में दर्शाया गया है।

¹⁵

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम ₹ 9.50 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमेटेड (–) ₹ 19.19 करोड़, छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी (–) ₹ 177.64 करोड़ और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (–) ₹ 1.52 करोड़।

तालिका 1.26: निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	1,916.18	1,866.44	1,872.53	6,192.22	6,778.60
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	2.19	14.21	0.86	5.73	0.55
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.11	0.76	0.05	0.09	0.01
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.34	6.12	6.16	6.25	6.62
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.23	5.36	6.11	6.16	6.61
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	119.38	100.04	114.41	381.44	448.07

* (वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच 31 मार्च 2017 तक के अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

पिछले पाँच वर्षों में राज्य शासन को शासकीय ऋण पर ब्याज एवं निवेश के प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 1,163.34 करोड़ को हानि हुई। यह गौर करने की बात है कि निवेश पर खराब प्रतिफल के बावजूद भी वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जिसमें वे भी शामिल हैं जो कम्पनी अधिनियम के तहत अपने लेखे पूर्ण नहीं किये जैसा कि कण्डिका 3.2 में वर्णित है, को इकिवटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहयता द्वारा को नियमित रूप से बजटीय समर्थन प्रदान किया।

अनुशंसा – वित्त विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरों का समाशोधन हेतु समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.8.4 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। विवरण तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.27: राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
प्रारंभिक शेष	1,517.88	1,864.72	1,545.99	1,395.41	1,273.96 ¹⁶
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,888.79	1,318.53	88.32	164.73	272.71
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	1,542.01	1,637.27	194.86	296.39	172.99
अंतरेष्ट	1,864.66	1,545.99	1,439.45	1,263.75	1,373.69
निवल बुद्धि	342.78	(–) 318.74	(–) 106.54	(–) 131.66	99.72
ब्याज प्राप्तियाँ	8.27	274.43	47.30	47.02	30.19
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.44	17.75	3.17	3.54	2.28
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.34	6.12	6.16	6.25	6.62
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(–) 5.90	11.63	(–) 2.99	(–) 2.71	(–) 4.34
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं ऋण पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	111.44	0.00	2.64	4.46	11.89

विगत पाँच वर्षों में (वर्ष 2013–14 छोड़कर) राज्य शासन को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज तथा ऋण पर दिये गये ब्याज के अंतर से ₹ 130.48 करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का ब्योरा वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड एक में विस्तृत विवरण किया गया है एवं इकाइयों का विस्तृत विवरण जिनके ऋण के पुर्णभुगतान का बकाया वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड 2 में किया गया है।

1.8.4.1 दंतेश्वरी मैद्या सहकारी शक्कर कारखाना को दिया गया ऋण

वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने फैक्ट्री के निर्माण हेतु दंतेश्वरी मैद्या सहकारी शक्कर कारखाना, डी.एम.सी.एस.एम बालोद को ब्याज वाले ऋण¹⁷ ₹ 21.83 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृति की शर्त के अनुसार ऋण के वितरण के एक वर्ष बाद शुरू होने वाली किश्त की वसूली के साथ आठ बराबर वार्षिक किश्त में ब्याज के साथ ऋण राशि वापस करेगी। वैसे ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2010–11 के दौरान कार्यशील पूँजी हेतु ₹ 78.61 करोड़ का ब्याज असर ऋण¹⁸ स्वीकृत किया। मंजूरी की शर्त के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक डी.एम.सी.एस.एम द्वारा ऋण राशि वापस करनी थी, जिसमें तीन प्रतिशत दंडनीय ब्याज लगाया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि डी.एम.सी.एस.एम के कार्य में हानि के कारण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऋण के समय पर निर्धारण (नवंबर 2009 और 2012) के बाद भी, ऋण की वसूली की किश्त प्रारंभ नहीं की जा सकी (मार्च 2017)। 31 मार्च 2017 तक ₹ 100.44 करोड़, के बदले ₹ 84.77 करोड़ (मूलधन ₹ 74.07 करोड़ और ब्याज ₹ 10.67 करोड़) की वसूली बची थी। हालांकि केवल ₹ 55.16 करोड़ बरामद हुए और ₹ 29.58 करोड़ (मूलधन ₹ 21.46 करोड़ तथा ब्याज ₹ 8.12 करोड़) बकाया हैं। विवरण परिशिष्ट 1.7 में दर्शाया गया है।

रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, छत्तीसगढ़, रायपुर ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार कर लिया (फरवरी 2018)

अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियों पर भुगतान करती है।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.28 में प्रदर्शित किया गया है।

¹⁷ ब्याज दर—2005–06 (@ 8 प्रतिशत), 2007–08 और 2008–09 (@ 10.25 प्रतिशत)।

¹⁸ ब्याज दर—2010–11 से 2013–14 (@ 10.50 प्रतिशत), और 2013–14 से 2016–17 (@ 9.50 प्रतिशत)।

तालिका 1.28: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 की स्थिति में अंतिम शेष	31 मार्च 2017 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	(-577.94)	339.18
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	(-577.94)	339.18
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	1,856.17	2,512.00
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	1,278.23	2,851.18
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	11.54	8.70
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशागी राशियों	0.32	0.34
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,543.63	1,798.63
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	1,555.49	1,807.67
कुल (अ) तथा (ब)	2,833.72	4,658.85

(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोकड़ शेष को भारत सरकार के कोषालय देयकों में निवेश किया गया।

1.8.5.1 रिजर्व बैंक जमा की विसंगतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्यरत ऐसे मान्यता प्राप्त बैंकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन की सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। इन सभी लेनदेन की जिम्मेदारी केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर की है। दूसरी ओर, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं छत्तीसगढ़ शासन के कोषालयों से प्रारंभिक लेखे प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन की लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संधारण किया जाता है।

31 मार्च 2017 तक, नवंबर 2011 से मार्च 2017 तक 157 विसंगतियाँ हैं (विवरण परिशिष्ट 1.8 में दर्शाया गया है) जिसमें राज्य शासन के रोकड़ शेष में ₹ 57.25 करोड़ (क्रेडिट) शुद्ध अंतर है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित किया है एवं वित्त लेखे में दर्शाया गया है। मार्च 2017 में ₹ 57.25 करोड़ में से ₹ 0.98 करोड़ जो नवंबर 2011 से मार्च 2017 तक की 27 प्रकरणों से संबंधित है उनका निराकरण (दिसंबर 2017 तक) नहीं हुआ (परिशिष्ट 1.8)।

1.8.5.2 वित्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के रोकड़ शेष निवेश के आंकड़ों में विविधता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के जांच के दौरान यह पाया गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा किए गये रोकड़ शेष निवेश के मार्च 2017 के आंकड़ों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रोकड़ शेष निवेश की जानकारी में ₹ 2.24 करोड़ की अंतर मौजूद है।


1.9 परिसंपत्तियों एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसंपत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों के सार को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है। दायित्व में आंतरिक ऋण, भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि में प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3 (भाग ब) में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के वित्त लेखे)

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को तालिका 1.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.29: राजकोषीय देयता—आधारभूत मानक

	(₹ करोड़ में)				
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
आंतरिक ऋण	9,567	12,943	18,195	24,214	28,330
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,137	2,003	1,854	1,836	2,047
लोक लेखा दायित्व	7,564	9,958	10,932	11,691	13,054
कुल राजकोषीय देयताएँ	19,268	24,904	30,981	37,741 ¹⁹	43,431
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.66	29.25	24.40	21.82	15.08
राजकोषीय देयताएँ / स.रा.घ.ज. (प्रतिशत में)	10.85	12.05	13.18	14.47	14.97
राजकोषीय देयताएँ / राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	65.14	77.70	81.55	81.93	80.90

(स्रोत: वित्त लेखे एवं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 में अनुमानित जनसंख्या)

19

वर्ष 2015–16 के आंकड़े में अंतर का कारण वित्त लेखे में प्रोफर्मा समायोजन के आंकड़ों में अंतर है।

वर्ष 2016–17 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुपात में बकाया ऋण 14.97 प्रतिशत था, जो राज्य के लिए एफआरबीएम/14^{वै} वित्त आयोग द्वारा दिये गये मानक प्रेक्षण में है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लोक लेखे में 16 आरक्षित निधि विशेष उद्देश्यों हेतु बनाये गये हैं। विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है:

तालिका 1.30: वर्ष 2016–17 के दौरान आरक्षित निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष	01 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	2016–17 के दौरान प्राप्ति	2016–17 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष
(क)ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	369.80 (क्रेडिट)	566.51	243.11	693.20 (क्रेडिट)
योग (क)ब्याज वाले आरक्षित निधि	369.80 (क्रेडिट)	566.51	243.11	693.20 (क्रेडिट)
(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8222—निक्षेप निधि	1,546.94 (क्रेडिट)	200.00	0	1,746.94 (क्रेडिट)
8223—अकाल राहत निधि	3.61 (क्रेडिट)	0.08	0	3.69 (क्रेडिट)
8228—राजस्व आरक्षित निधि	4.63 (क्रेडिट)	0	0	4.63 (क्रेडिट)
8229— विकास तथा कल्याण निधि	1,567.78 (क्रेडिट)	850.79	734.47	1,693.14 (क्रेडिट)
8235— सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	0.01 (क्रेडिट)	0	0	0.01 (क्रेडिट)
योग—(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	3,132.01 (क्रेडिट)	1,050.87	734.47	3,448.41 (क्रेडिट)
योग के एवं ख— आरक्षित निधि	3,501.81 (क्रेडिट)	1,617.38	977.58	4,141.61 (क्रेडिट)
आरक्षित निधि निवेश लेखा	1,543.63 (डेबिट)	0	255.00	1,798.63 (डेबिट)

(स्रोत: वित्त लेखे 2016–17)

सोलह आरक्षित निधि (₹ 4,141.61 करोड़ के अंतिम शेष के साथ), राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,798.63 करोड़ (43.43 प्रतिशत) निवेश किया, में से 12 संचलित है तथा वर्ष 2000–01 से 2016–17 के दौरान चार (₹ 18.99 करोड़ के अंतिम शेष के साथ) असंचालित थे। असंचालित निधियों के विवरण तालिका 1.31 में दिये गये हैं।

तालिका 1.31: असंचालित आरक्षित निधियों के विवरण

आरक्षित निधि के नाम	31 मार्च 2017 को अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	असंचालित वर्ष
8229— विकास एवं कल्याण निधि		
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	0.06 (क्रेडिट)	2000–01
वनीकरण हेतु क्षतिपूर्ति निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008–09
शिक्षा हेतु विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011–12
8235— सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि		
अन्य निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000–01
योग	18.99 (क्रेडिट)	

आगे, वर्ष 2001–02 में ग्रामीण विकास निधि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित निधि गठित किया गया था, जिसका 31 मार्च 2017 में ₹ 185.68 करोड़ संचयी शेष था। परन्तु, शुरुआत से ही इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण एवं संवितरण संचित निधि के उचित राजस्व एवं व्यय शीर्षों के डेबिट एवं क्रेडिट के माध्यम से होता है। जब यह रिजर्व बैंक जमा सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं तभी यह वास्तविक रोकड़ हस्तांतरण दर्शाता है। चूंकि कोई वास्तविक नकद बहिर्वाह नहीं है, इसलिए आरक्षित निधि के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिखाए गये ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन के तहत भावना का उल्लंघन करती हैं। उनका एकमात्र प्रभाव प्रासंगिक वर्षों के लिए एक अनुपयुक्त अनुकूल राजस्व आधिक्य राजकोषीय घाटे की स्थिति को दर्शाता है।

अनुशंसा – वित्त विभाग को आरक्षित निधि के तहत लेनदेन एवं शेष राशि की समीक्षा करनी चाहिए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष राशि के वास्तविक निवेश करते हुए रोकड़ लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार को असंचालित निधि को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है एवं निरंतरता के संचित निधि में शेष राशि को भेजना चाहिए।

1.9.4 राज्य आपदा राहत निधि

मार्च 2017 को राज्य आपदा राहत निधि का शेष ₹ 693.20 करोड़ था। राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका 2010 के कण्ठिका 19 एवं 20 के तहत, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के शेष को (क) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) ऑक्शनड ट्रेजरी बिल एवं (ग) ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, अधिविकर्षण पर भुगतान की जाने वाली दर पर सरकार को विनिवेश किए गए शेषों पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, निधि के निर्माण के बाद से शासन ने राज्य आपदा राहत निधि को कोई ब्याज नहीं दिया था। वर्ष 2010–17 की अवधि के लिए लागू दरों पर ब्याज ₹ 225.87 करोड़ का आंकलन किया गया है। इनमें से, सिर्फ वर्ष 2016–17 के लिए न चुकाया हुआ ब्याज ₹ 31.43 करोड़ था, जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। इस तरह के न चुकाये हुए ब्याज राज्य शासन की दायित्व को बढ़ाता है।

अनुशंसा – राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

1.9.5 संचित निक्षेप निधि

12^{वै} वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12^{वै} वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2016–17 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन बकाया दायित्व ₹ 37,741.14 करोड़ था, जिसका न्यूनतम ₹ 188.71 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 37,741.14 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 200 करोड़ का बजट प्रावधान रखा एवं संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरण किया। संचित निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में वर्ष 2005–06 से 2016–17 के दौरान ₹ 1,746.94 करोड़ शेष रहा।

1.9.6 अधोसंरचना विकास निधि

शासन ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना की। यह अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 27 मई 2005 से लागू किया गया है।

इस अधिनियम के अनुसार, सभी भूमि पर आधारभूत संरचना विकास उपकर लगाय जाएगा और जिस पर भूमि राजस्व या किराया लिया जायेगा। आधारभूत संरचना विकास उपकर से एकत्रित कर अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों के तहत राज्य में आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं जैसे विद्युत, पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, सड़कें, इमारतें आदि।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016–17 के दौरान आधारभूत संरचना विकास उपकर ₹ 727.63 करोड़ एकत्र की जिसमें से ₹ 423.39 करोड़ (58 प्रतिशत) अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया। ₹ 304.24 करोड़ का अस्थानांतरित शेष राज्य सरकार की अनुन्मुक्त दायित्व में योगदान देता है। इस तरह के अस्थानांतरित शेषों से प्रासंगिक वर्षों में राजस्व आधिक्य को बढ़ा हुआ एवं राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया। अधोसंरचना विकास निधि के निधियों के विवरण परिशिष्ट 1.9 एवं 1.10 में दिया गया है। हालांकि, वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य शासन ने पिछले वर्ष के शेष के साथ एकत्रित आधारभूत संरचना विकास उपकर से ज्यादा स्थानांतरित किया इसलिए वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

साथ ही, यह भी गौर किया गया कि वर्ष 2013–17 के दौरान विभाग ने ₹ 727.63 करोड़ का बजट अनुमान बनाया था। हालांकि, वर्ष 2014–15 के दौरान सड़क/भवन निर्माण हेतु बजट अनुमान से केवल ₹ 2.00 करोड़ का उपयोग किया गया शेष राशि अनुपयोग रहा। आगे, जांच में पता चला कि वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों को दिशानिर्देश जारी नहीं करने के कारण विभिन्न विभागों द्वारा ₹ 2.00 करोड़ का व्यय किया गया जिसे अधोसंरचना विकास निधि से नहीं किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2017 को ₹ 423.39 करोड़ संपूर्ण अधोसंरचना विकास निधि उपयोग नहीं की गयी।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधारभूत संरचना विकास उपकर अधोसंरचना विकास निधि में नियमित रूप से स्थानांतरित एवं अधिनियम के प्रावधानुसार उपयोग हो।

1.9.7 प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले पाँच वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.32 में दिया गया है।

तालिका 1.32: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

प्रत्याभूतियाँ	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	(₹ करोड़ में) 2016–17
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	6,605.49	7,571.99	9,080.06	14,883.41	12,641.13
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,694.90	3,358.27	2,314.47	1,988.24	3,982.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2017 के अंत तक ₹ 3,982.97 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का

लगभग 7.42 प्रतिशत था। राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत नई प्रत्याभूति नहीं देगा। नये प्रत्याभूतियां (₹ 4,091.34 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत (1.41 प्रतिशत) में थी।

12^{वै} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरूआत में बकाया प्रतिभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदानुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005–06 से 2016–17 के दौरान ₹ 112.60 करोड़ की स्थानांतरण करनी थी, जिसमें से ₹ 9.94 करोड़ केवल वर्ष 2016–17 संबंधित है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूतियां मध्यम् एवं कम जोखिम प्रकृति के होने के कारण वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरित प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन नहीं किया। तथापि, शासन को प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन विधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

वर्ष 2016–17 के दौरान प्रत्याभूति शूलक के तौर में ₹ 9.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 4.40 करोड़ की वसूली हुई जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ विपणन संघ रायपुर (₹ 5.00 करोड़) से कम प्राप्ति होना है।

अनुशंसा: बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिए।

1.9.7.1 शासन की फर्म दायित्वों दिये गये प्रत्याभूतियों के रूप में दिखाया जाना

वर्ष 2016–17 के दौरान बीपीएल उपभोगताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने एवं कृषि पर्याप्त सेट हेतु कृषक जीवन ज्योति योजना लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,955 करोड़²⁰ ऋण लिया था। छत्तीसगढ़ शासन के प्रत्याभूति से सावधि ऋण सुरक्षित थे।

छत्तीसगढ़ शासन ने उन ऋण के मूलधन एवं ब्याज चूकाने का दायित्व लिया। इस प्रकार, वास्तव में ऋण की दायित्व छत्तीसगढ़ शासन पर निहित है, न कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड पर, जो तथ्य, हालांकि छत्तीसगढ़ शासन के खातों में परिलक्षित नहीं था। फलस्वरूप शासन के दायित्व ₹ 1,955 करोड़ से न्यूनोवित कथित हुआ।

अनुशंसा: राज्य शासन को आवश्यक आदेश जारी करनी चाहिए जो ऐसे लेन–देन को शासन द्वारा लिया गया ऋण माना जाये एवं आगे इसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को ऋण अथवा सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना चाहिए।

²⁰

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (₹ 765 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) (₹ 595 करोड़) और पॉवर वित्तीय निगम (पीएफसी) (₹ 595 करोड़)।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण²¹, गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता²²; उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता²³ ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता²⁴ का मुल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.33 2012–13 से शुरू विगत पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.33: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	10.85	12.05	13.18	14.47	14.97
वृद्धि जन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	(-)1,854	(-)2,405	(-)2,196.41	2,563.71	1,396.51
राज्य को शुद्ध ऋण की उपलब्धता	1,012	4,283	4,551	4,687	3,003
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति)	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा (वर्ष में)					
0–5	3,914.35	4,207.57	5,828.95	5,934.05	6,686.65 (60)
6–10	3,204.48	7,937.95	11,849.84	17,028.20	2,137.55 (19)
11–15	3,312.46	1,674.14	1,553.25	1,846.17	1,638.31 (15)
16–20	802.49	658.63	528.11	448.46	456.85 (4)
20 और उससे ऊपर	470.22	467.95	289.04	793.26	220.13 (2)
योग	11,704.00	14,946.24	20,049.19	26,050.14	11,139.49

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

²¹ स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण— स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मासूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि पर—ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ—साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण— स.रा.घ.उ. अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ—साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण— स.रा.घ.उ. का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण— स.रा.घ.उ. अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

²² राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

²³ उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

²⁴ ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण—स.रा.घ.उ. के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

तालिका 1.34: उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

ब्लौरे	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ ²⁵	6,898	10,310	11,914	12,902	11,804
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) ²⁶	5,886	6,027	7,361	8,215	8,801
निधियों की शुद्ध उपलब्धता	1,012	4,283	4,551	4,687	3,003
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत	14.67	41.54	38.20	36.33	25.44

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऋण ली गई निधियों की 75 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य के पूँजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका। पड़ोसी राज्य झारखण्ड (32.43 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (25.75 प्रतिशत) एवं मध्य प्रदेश (30.51 प्रतिशत) की तुलना में छत्तीसगढ़ (25.44 प्रतिशत) राज्य की ऋण निधियों की शुद्ध उपलब्धता कम थी जो यह इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकतम ऋण निधि का उपयोग किया है।

²⁵ कुल प्राप्तियाँ ₹ 11,804 करोड़ = आंतरिक कर्ज ₹ 5,098 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 382 करोड़ और अन्य कर्तव्य ₹ 6,324 करोड़।

²⁶ कुल वापसी ₹ 8,801 करोड़ = आंतरिक कर्ज के सापेक्षण में मूलधन और ब्याज ₹ 3,090 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 307 करोड़ और अन्य दायित्व का निर्वहन ₹ 5,404 करोड़।